राज्य सभा
में
सुशील कुमार मोदी

- राज्य सभा के 253वें सत्र
  29 जनवरी–25 मार्च, 2021 में दिए गए भाषण
- समाचार – पत्रों में प्रकाशित लेख

The positive response to this year's budget has created an atmosphere of new hope all around and has expressed the mood of the nation. The country wants to progress fast; the country does not want to waste time now."

-Narendra Modi

राज्य सभा के 253वें सत्र में
(29 जनवरी–25 मार्च, 2021)

क्रम	विषय	पेज नं॰
1.	केन्द्रीय बजट 2021–22 पर भाषण	1–10
2.	**Insurance Bill, 2021** पर भाषण	11–17
3.	**Finance Bill, 2021** पर भाषण	18–25
4.	**All India Judicial Service** के गठन के सम्बन्ध में	26
5.	गूगल, फेसबुक भुगतान करे प्रिन्ट और **TV** चैनल को	27–30
	समाचार-पत्रों में लेख	
6.	**Insurance Amendment Bill** पर **Financial Express** में प्रकाशित	31–34
7.	**On Fuel Price, Crude Fact India Express** में प्रकाशित	35–37

केन्द्रीय बजट 2021-22 पर राज्य सभा में
10 फरवरी, 2021 को दिया गया भाषण

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I just want to say one thing.
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no, I am not allowing you. Yes, Shri Sushil Kumar Modi.
SHRI NARESH GUJRAL: *
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. Nothing will go on record. ..(Interruptions).. Without permission, nothing will go on record

सुशील कुमार मोदी जी, आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): उप–सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पूरी दुनिया में एक ऐसा वैश्विक संकट पैदा हुआ, जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा दुनिया के देशों की जीडीपी में गिरावट आ गई । प्रधानमंत्री जी ने कहा कि **'जान है, तो जहान है।** 'The GDP growth will recover from temporary shock of pandemic but the human lives that are lost cannot be brought back.'

देश अर्थ व्यवस्था के सदमें से उभर सकता है। अर्थ व्यवस्था दोबार पटरी पर लौट सकती है। परंतु जिंदगी को लौटा कर वापस नहीं लाया जा सकता है। इस देश में प्रधानमंत्री जी ने Stringent Lockdown लागू किया। अगर कड़ाई से Lockdown लागू नहीं किया गया होता, तो अब तक कोविड के कारण जितने लोगों की मौत हुई है, उससे करीब 1 लाख अधिक लोगों की मौत हो गई होती। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म हैा इसलिए कोविड के दौरान लॉकडाउन **'Short term pain, for long term gain'** था। जब लॉकडाउन को थोड़ा शिथिल किया गया, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि **'जान भी है, जहान भी है' Saving Lives and Saving Livelihoods ।** महोदय, सरकार ने जहां एक ओर लोगों की जिंदगी की चिंता की, वहीं दूसरी ओर उनके रोजगार की भी चिंता की।

उप–सभापति महोदय, अर्थ जगत से जुड़े सभी पक्षों ने इस बजट का स्वागत किया है। एक अखबार ने लिखा '22 gun salutes : Indices bounce Back' यानि 22 बंदूकों की सलामी के साथ देश के स्टॉक एक्सचेंज ने इस बजट का स्वागत किया है। जो सेंसेक्स है, It soared to 51,000 । सेंसेक्स 51 हजार और, Nifty 15,000 का आंकड़ा पार कर गया। 23 साल के बाद यह पहला अवसर था, जब वित्त मंत्री के भाषण के बाद सेंसेक्स में Highest single day gain on a Budget day । इसके पहले श्री पी. चिदम्बरम के 1997 में बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में एक ही दिन में बड़ा उछाल आया था ।

महोदय, देश के अखबारों ने, सकारात्मक सुर्खियों में इस बजट का स्वागत किया है- एक ने कहा, 'Bold and Reformist Budget', एक ने कहा, FM breaks taboos, puts economy on turbo charge' 'FM takes on challenge with simple Budget', 'Pant and Pujara', 'FM delivers a booster dose', एक ने कहा, 'Budget bets big on growth', एक ने कहा, 'bold leap, no playing to gallery'. एक अखबार ने headline दी, 'We have spent, we have spent and we have spent.' महोदय, पिछले 25-30 सालों मैं यह पहला बजट था, जिसकी कहीं आलोचना नहीं सुनी गई। महोदय, इस बजट का देश ने स्वागत किया है।

अभी Congress के मित्र गरीब की बात कर रहे थे। Lockdown के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक 40 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 8 किलो दाल दिया है। इतना ही नहीं, 20 करोड़ महिलाएं, जिनका जनधन खाता था, उनको 1,500 रुपया प्रति महिला जो कि More than Rs. 30,950 crore है were transferred to the Bank Accounts of 20 Crore Mahila Jan Dhan khatadaris. उसी प्रकार 7.43 करोड़ उज्ज्वला की लाभार्थी महिलाओं को 14.71 करोड़ फ्री गैस सिलेंडर दिए गए, जिसकी कीमत 9,670 करोड़ रुपए है। 2.81 करोड़ विधवा, वृद्ध, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3 माह में 2,814 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किए गए।

महोदय, कुछ लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते है। अगर जनधन खाता नहीं होता, तो क्या इन गरीबों के खाते में कोरोना काल में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता था? महोदय, अमरीका के अंदर भी Direct Benefit Transfer से सभी लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सका। वहां 8 करोड़ लोगों के लिए Stimulus Cheque ट्रम्प के Signature के साथ प्रिंट किए गए। फिर लिफाफे में डालकर post से Deliver किया गया। अमेरिका एक सप्ताह में 50 लाख से ज्यादा चेक Deliver करने की स्थिति में नहीं था। आठ करोड़ लोगों को Stimulus cheque पहुंचाने में छः माह लग गए। दूसरी ओर भारत जैसे गरीब देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में Direct Benefit Transfer से पैसा पहुंचाने का काम किया गया है। महोदय, 'आत्मिनर्भर भारत' पैकेज के तहत भारत सरकार, और RBI द्वारा 27 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज Provide किया गया। It was like five mini budgets।

महोदय, यह लॉकडाउन क्यों सफल हुआ? अगर 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने होते, तो लोग घरों में शौच के लिए जाते या बाहर जाते? अगर लॉकडाउन सफल हुआ है, तो इसके अंदर इन शौचालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर NDA की सरकार ने घर-घर बिजली नहीं पहुंचाई होती, तो लॉकडाउन के दौरान लोग

OTT और Netflix पर टीवी देखकर, शायद समय नहीं काट पाते। अगर 'उज्ज्वला' के अंतगर्त गैस के सिलेंडर नहीं मिले होते, तो गरीबों को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि बार-बार यहां अडाणी और न जाने किस-किस की चर्चा होती है। यह जो मुफ्त सिलेंडर मिला है, क्या यह अडाणी को मिला है? अगर यह मुफ्त अनाज मिला है, तो क्या Tatas और Birlas को मिला है?

महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी Maiden Speech है, तो कम से कम मुझे ... (व्यवधान)... मत कीजिए।

THE VICE & CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This is his maiden speech.

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, सिब्बल साहब आंकड़े गिना रहे थे कि Revenue Collection कम हो गया है, Income Tax Collection कम हो गया है। जब पूरे देश में कोविड की वजह से Lockdown था, तो Revenue Collection तो कम होना ही था। महोदय, केन्द्र और राज्यों का मिलाकर कुल 4 लाख 65 हजार करोड़ कम राजस्व संग्रह होने की संभावना है, जो कुल राजस्व का 23 प्रतिशत है। The Shortfall in Corporate Tax is 34.50%. For Income Tax, the shortfall is 28%. अभी भी GST में 11.72% का Revenue Shortfall है। ...(व्यवधान)....

सर, मेरी मेडन स्पीच है...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, कोरोना काल में लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट में कोई नया टैक्स लगेगा, कोई Covid Tax लगेगा, Tax बढ़ाया जाएगा। लेकिन 23% से ज्यादा Revenue Collection कम होने के बावजूद सरकार ने आम आदमी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पिछले ही साल सरकार द्वारा कोरपोरेट टैक्स, इन्कम टैक्स में भारी रिबेट दी गई थी। केवल इनकम टैक्स में Rs. 40,000 crore का Revenue foregone किया। Corporate Tax में 2019-20 में Rs. 1,45,000 Crore Annual Revenue Foregone किया। Dividend Distribution Tax में 25 हजार करोड़ का Revenue Foregone किया गया था।

उप-सभापति महोदय, सरकार ने एक नया सेस लगाया। That was the Agriculture Infrastructure and Development Cess and by levying this cess] the Government of India will be collecting more than Rs. 30,000 crore as cess and this fund will be spent for the augmentation of mandies or APMCs. सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर Basic Excise Duty और 12 वस्तुओं पर Customs Duty कम किया और तब यह सेस लगाया, ताकि जनता पर कोई बोझ न पड़े। विपक्ष कह रहा है कि सेस से प्राप्त राशि Divisive Pool में नहीं जाएगा, तो राज्यों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। महोदय, आखिर यह सेस Agriculture के

infrastructure पर खर्च होगा, तो राज्यों में खर्च होगा, राज्यों के माध्यम से ही खर्च होगा, तो Ultimately, this cess will go to the States. इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि जो सेस है, इसके Divisive Pool में नहीं होने के कारण राज्यों को नुकसान होगा।

महोदय, अर्थ व्यस्था की V-Shaped या W-Shaped या U-Shaped Recovery की चर्चा हो रही थी। RBI's Financial Stability Report, NSO's First Advanced Estimates और Economic Survey 2021, all have predicted that it will be a V shaped recovery. V shaped recovery का मतलब है जहां जी.डी.पी. तेजी से नीचे और फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। This is known as a V-Shaped Recovery. सर, quarter-1 के अंदर GDP contracted to minus 23.9%; in quarter-2, it was minus 7-5 % और अब quarter–3 में घटकर 0.1 % रहने की संभावना है। लोगों का आकलन है कि Real GDP is estimated to contract by only 7-7 % during 2020-21। यह V-Shaped Recovery है।

वर्ष 2021–22 में IMF ने prediction किया है कि it will be 11.5 per cent GDP growth in India. Economic Survey ने भी 11% और RBI's Monetary Policy Statement ने भी 10.5 per cent real GDP का आकलन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई माह के बाद जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो हम V-Shaped Recovery के साथ फिर अर्थव्यवस्था को पुरानी पटरी पर लाने में सफल होंगे तथा inflation भी नियंत्रण में रहेगा। जनवरी माह में All indicators like improving power consumption, railway freight, GST collection, manufacturing capacity utilization, manufacturing PMI and PMI service index में लगातार सुधार दिखाई पड़ रहा है। Consumer Price Index has also come down to 4.59 per cent in the month of December and food inflation has also come down from 9.5 per cent to 3.41 per cent.

उप–सभापति महोदय, इस बजट की एक और उपलब्धि है – Transparent accounting. It is no doubt that fiscal deficit is 9.5% but it is because there is a transparency in accounting method of Budget और जो off budget borrowing थी, उसको मूल बजट में इंटीग्रेट कर दिया गया है। महोदय, अब FCI NSSF से Food subsidy के लिए लिए ऋण नहीं लेगा । और इसके अनुसार भारत सरकार ने RE–2021 तथा BE 2021–22 में इसका प्रावधान किया है। मैं माननीय निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि New Fiscal Consolidation Roadmap, for the general States -- it means for the States and Centre and for the debt and fiscal deficit –– भारत सरकार को तैयार करना चाहिए।

उप-सभापति महोदय, बार-बार privatization का जिक्र हो रहा था। महोदय 90s में, per capita income of China and India were at the same level. 1990 के दशक में चीन और भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, लेकिन 1974 में China opened its economy and India opened its economy in 1991 । इस delayed economic reform and excessive regulation के कारण हम पिछड़ गए और चीन हमसे आगे निकल गया। इसलिए इस बजट की एक और खासियत है mindset को बदलना, यह जो सोच है कि हर चीज privatize हो रही है, disinvestment हो रहा है इसको बदलना होगा। अगर Public Sector Undertakings घाटे में चले रहे है, अगर Air India को 60,000 करोड़ का घाटा है and each year we are pumping Rs. 6,000 crore of the public money to keep alive Air India, तो क्या यह उचित है? इसलिए इस mindset से बाहर निकलना होगा। यह जो excessive regulation का mindset है and excessive baggage of socialism, जो पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता था, इस mindset से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि घर के गहने बेचे जा रहे है। क्या tax payers का धन घाटे में चल रहे उद्योगों पर खर्च किया जाना चाहिए, Air India पर खर्च किया जाएगा?

1991 के बाद इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने Reformist Budget पेश किया है, तो वह भारत की सरकार ने 2021-22 में किया है। इस बजट के द्वारा, Disinvestment, Privatization, Asset Monetization, DFI, ARC, AMC, जैसे शब्दों पर चर्चा हो रही है। विपक्ष कहता है कि रोजगार की कहीं चर्चा ही नहीं है। अगर Capital Expenditure होगा, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? सड़क बनेगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, और चीजें बनेगी, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा ? यह बजट रोजगार पैदा करने वाला है, यह बजट गरीबी दूर करने वाला है, यह महंगाई को नियंत्रित करने वाला बजट है, यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है।

Healthcare and Well-being, इस बजट का पहला thrust है। दूसरा है - Capital Expenditure और तीसरा thrust area है - Financial Sector Reforms. 2020-21 में सरकार ने बजट प्रावधान से 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया है। बजट में Capital Expenditure पर Rs. 4,12,000 crore was provided and we would be spending Rs. 4,39,000 crore as Capital Expenditure. For 2021-22, the Budget Expenditure is Rs. 34,83,000 crore and Capital Expenditure is more than Rs. 5,54,000 Crore. अभी सिब्बल साहब 'मनरेगा' के बारे में बात कर रहे थे। In 2020-21, we have spent 81 per cent more in MANREGA than what was provided in the Budget. हम लोगों ने Social Security में बजट प्रावधान से 380% ज्यादा खर्च किया है।

उप-सभापति महोदय, स्वास्थ्य पर, we will be spending 137% more in 2021-22 in comparison to 2020-21. अब विपक्ष कह रहा है आप तो हेल्थ पर कम, पानी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप तो सेनिटेशन पर खर्च कर रहे है। महोदय health is not just about clinics, about hospitals, about labs, about doctors and about paramedics. The WHO has stressed that water and sanitation were crucial for basic healthcare. Health is also about nutrition. Health is also about sanitation, about general cleanliness, about clean air and water । सरकार ने 'आयुष' में 2021-22 के लिए 40% ज्यादा allocation किया है। Health and Research पर 26.8% more allocation in 2021-22 and for Water and Sanitation there is an increase of 346%. इसी प्रकार Health & Family welfare पर, F22 में 30% increase किया गया है।

उप-सभापति महोदय, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया One-Third खर्च करती है, Two-Thirds खर्च स्टेट्स करती हैं । इस बार के बजट में, We have provided Rs. 35,000 crore for the Covid vaccines और 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। Sir, Rs. 35,000 crore means, 50 crores of people will be inoculated by this Covid vaccine. सरकार ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रारम्भ किया, and, we have completed 60 lakh vaccinations in a record 24 days, whereas U.S.A. took 26 days, U.K. took 46 days and India took only 24 days to inoculate more than 60 lakh people of this country.

उप-सभापति महोदय, हम लोग केवल अपने देश में ही टीका नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को एक लाख, बंगलादेश को 20 लाख, नेपाल को 10 लाख, म्यांमार को 15 लाख, श्रीलंका को 5 लाख, बहरीन को एक लाख, ओमान को एक लाख and to अफगानिस्तान, We have sent five lakh doses of Corona vaccine without charging a single penny. हम लोगों ने 12 देशों को 62 लाख वैक्सीन फ्री में पहुंचाने का काम किया है। It has already been delivered. It is not that it is in pipeline but it has already been delivered. इतना ही नहीं, सरकार ने आठ देशों के साथ commercial contract किया है। बंगलादेश के साथ 50 लाख, मोरक्को के साथ 20 लाख, ब्राजील के साथ 20 लाख, इजिप्ट के साथ 50 हजार, अल्जीरिया के साथ 50 हजार, साउथ अफ्रिका के साथ 10 लाख, कुवैत के साथ 2 लाख, यूएई के साथ 2 लाख doses का कमिर्शयल कॉन्ट्रेक्ट किया है। उप-सभापति महोदय, सरकार ने one crore five lakh doses of vaccination through commercial contract आठ देशों को भेजने का काम किया है।

उप-सभापति महोदय, दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीन बड़े संकट आए थे। The first was Asian Financial Crisis, 1997; the second was Global Financial Crisis, 2007-2008; and the third is Pandemic Induced Financial Crisis,

2020. इन तीनों crises का भारत ने किस तरह मुकाबला किया ? जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, the response was myopic. उस समय किसकी सरकार थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है और अब जो पेंडेमिक के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आया है – इस समय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है।

उप-सभापति जी, कोविड क्राइसिस के दौरान-सरकार का Capital Expenditure from April to December, 2020 stood at Rs. 3.17 lakh crore which is 24 per cent higher, then last year जबकि प्रथम छह महीने कोविड में चले गए और कोई खर्च नहीं हो पाया था। परन्तु बाद के तीन माह में खर्च की गति तेज हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर recorded phenomenal growth in last three months। अगर आप अक्टूबर 20 की पिछले साल से तुलना करें, तो there was a growth of 129 per cent. In November कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ थी 248% and in December it was 81%.

उप-सभापति महोदय, 2021-22 में we are going to spend Rs.5,54,000 crores as capital expenditure जो पिछले साल की तुलना में 34.5% ज्यादा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का multiplier effect होता है। If the revenue expenditure increases by Rs.100, then only Rs.98 gets added to the economy. There is no multiplier effect. परन्तु यदि 100 रुपये खर्च करते हैं as capital expenditure तो Rs. 245 gets added to the economy in the same year and Rs. 480 gets aggregated over the next several years. It has a multiplier effect over the next few years. अगर एक रुपया खर्च करते हैं तो उसी साल अर्थव्यवस्था में 245 रुपये का multiplier effect होता है और बाद के वर्ष में Rs. 480. कुल मिलाकर अगले साल 2.25 per cent of GDP we will be spending through capital expenditure and if the multiplier effect is 2.5 times it means in 2022, 6.25% of GDP will be achieved only through capital expenditure. उप-सभापति महोदय, global financial crisis के समस कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्क्रीज नहीं हुआ, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इन्क्रीज किया और उसका परिणाम था कि महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा।

उप-सभापति महोदय, आखिर यह कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा? The Government of India has announced National Infrastructure Pipeline in the last Budget. Government of India will be spending Rs.100 lakh crores in the next financial year for the development of infrastructure and that will be the world class infrastructure which we will be developing through the National Infrastructure Pipeline. इसकी फंडिंग कैसे करेंगे? How would this Rs.100 lakh crores come from? It will be through creating institutional mechanism and monetizing the assets. इंफ्रास्ट्रक्चर की लाँग

टर्म फंडिग के लिए भारत सरकार ने DFI (Development Financial Institution) बनाने का ऐलान किया है। The normal commercial banks are not capable to provide long term lending to the infrastructure projects. So we require institutions like DFI, and the Government of India has provided Rs.20,000 crores to DFI and अगले तीन साल के अंदर इसका लैंडिंग पोर्टफोलियों 5 लाख करोड़ होगा।

Sir, then there is asset monetization. Like National Infrastructure Pipeline, there will be National Monetization Pipeline, इसके अंतर्गत NHAI के operational toll roads, transmission assets of Power Grid, AAI Air Ports in Tier II and Tier III cities, warehousing assets, sports stadiums, railway stations, DFC, etc. को monetize कर फंड्स इकट्ठा करेंगे। Then there is debt financing of Infrastructure Investment Trust and debt financing of Real Estate Investment Trust. They will be allowed debt financing by foreign portfolio investors.

उप-सभापति महोदय, इस देश के बैंकों का क्या हाल है। In the last four years, the Government of India has invested Rs. 2,71,000 crores for recapitalizing the public sector banks. Sir, Rs. 2,71,000 crores have been infused in the public sector banks, और अब सरकार 2021-22 में Rs.21,000 crores खर्च करेगी to recapitalize the public sector banks. महोदय, Banks are not capable to sell their bad assets; so, we will be creating Stressed Asset Resolution company by setting ARC and AMC. उसी प्रकार public sector enterprises के disinvestment की रणनीति तैयार की गई है ।

उप-सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने कोरोना काल में राज्यों की बड़ी मदद की है । बार-बार NDA पर आरोप लगता है कि Gujarat, Madhya Pradesh were obstructing the implementation of GST. I was associated with GST from the very beginning. मैं यह बताना चाहूँगा कि GST को UPA की सरकार लागू क्यों नहीं कर पाई। प्रसन्न आचार्य जी बैठे हुए है। They could not implement GST, they could not start GST in this country because of their arrogance, they refused to provide the compensation money to the States. CST was reduced from 4 per cent to 3 per cent and from 3 to 2 per cent. ... (व्यवधान)... और Government of India us assure किया था ...(व्यवधान)...

THE VICE & CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please don't obstruct.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : And, the Government of India has assured that they will compensate to the States. When the Government of India refused to compensate to the States, then, States also refused to cooperate with the Union Government. जब इस देश में नरेन्द्र मोदी जी की

सरकार आई, तो GST को लागू करने के लिए, we provided Rs.38,000 crores, to the states which was the backlog of UPA regime, which was not provided by the UPA to the States. The Narendra Modi Government provided Rs.38,000 crores backlog and assured 14 per cent return per annum for 5 years. कोरोना के कारण GST में revenue का shortfall था, the Government of India by special window has provided Rs.1,10,000 crores and already Rs. 84,000 crore has been given to the States.

महोदय, कोरोना काल में 20-21 में 14 States have been given Rs.74,000 crores as Revenue Deficit Grants and States like West Bengal, Kerala, which claimed to be the most prosperous State, they have got the maximum benefit. They mismanaged their economy and still they were rewarded with revenue deficit grant.

उप-सभापति महोदय, अंत में यह नरेन्द्र मोदी जी का बजट है, यह गरीबों को समर्पित बजट है, रोजगार पैदा करने वाला बजट है, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाला बजट है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाला बजट है। मैं नरेन्द्र मोदी जी के नाम के जो अक्षर है, उनसे बजट को परिभाषित करना चाहूँगा। नरेन्द्र मोदी जी के नाम में N, A, R, E, N, D, R, A, M, O, D, I है। So N stands for 'नया भारत' 'New India'; A of Narendra Modi stands for 'Atmanirbhar Bharat'; R stands for 'Radical Reforms'; E stands for 'Electronic Agri Market'; N stands for 'New Financial Structure'; D stands for 'Disinvestment'; R stands for 'Railway and Roads'; and A stands for 'Agriculture Reforms'. अब Modi का जो M है, it is 'MSP Assured'. जो MSP को लेकर चर्चा हो रही है, M of Narendra Modi, stands for 'MSP Assured'; M stands for 'Helping the Migrant Workers'; O stands for 'One Person Company'; and D stands for 'Downtrodden'. नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि सरकार गरीबों को समिर्पत है। So, D stands for 'Downtrodden' and the last alphabet I, it is for 'Inclusive Development'; it is for 'Infrastructure'; it is for 'Immunization'.

उप-सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विपरीत परिस्थिति के अन्दर ...

उपसभापति (श्री भुनेश्वर कलिता) : सुशील जी, आप एक मिनट रुक जाएँ। It is 2 o' clock now, we have to take the sense of the House to extend it-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN) : Sir, there is a general consensus that since we have to discuss the Budget 2021-22 in detail and many of the members have decided to speak, we may extend it up to 3 o'clock.

THE VICE -CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Is this the sense

of the House to extend it up to 3 o'clock? This is a consensus. This is a consensus, so you need not question.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN : If all parties get enough time to speak!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) Speak to your leader, he will speak on behalf of you. Mr. Sushil Modi, please continue your speech now.

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया था, मेरे 30 मिनट अब पूरे हो चुके हैं । महोदय, मैं पिछले 15 साल से बिहार में हूं। I have seen many Prime Ministers. But, it was for the first time, the Prime Minister was interacting with all the Chief Ministers for four hours or five hours and it has not happened only once. महोदय, 6 बार तो मैं स्वंय माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश जी के साथ मौजूद था। माननीय प्रधानमंत्री जी चार-चार, पाँच-पाँच घंटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर कोरोना का कैसे मुकाबला करना चहिये इसकी strategy बना रहे थे। This is Co-operative federalism. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कितनी बार राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस प्रकार कोई चर्चा या कोई बातचीत की होगी?

महोदय, कोरोना काल के बारे में सोच कर भी मन में सिहरन पैदा हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय जिस प्रकार की परिस्थियाँ थीं, उन परिस्थिति में से अगर किसी ने हमें निकाला है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेन्द्र दामोदरदास मोदी है।

महोदय, मैं एक बार फिर इस शानदार बजट के लिए, इस ऐतिहासिक बजट के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और देश के माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।

✪✪✪

Insurance Bill, 2021 पर राज्य सभा में
18 मार्च, 2021 को दिया गया भाषण

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं The Insurance (Amendment) Bill, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होनें इस बिल को लाकर अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति का परिचय दिया है। You require strong political will to bring about economic reforms in this country. In the year 1991, it was Shri Narasimha Rao. But, the economic reforms that were started by Shri Narasimha Rao were because of compulsions. लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में देश में जीएसटी लागू किया, IBC लागू किया है, प्राइवेटाइजेशन, डीएफआई, लेबर कोड, agricultural reforms आदि सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाये हैं। निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ा कर 74% करने कि घोषणा की थी। एक महीने के भीतर ही बिल लाकर सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प का इजहार किया है।

उपसभापित महोदय, I was surprised by the speech of Shri Anand Sharma. He is very senior to me. I have high regards for Shri Anand Sharma. Sir, it is not mandatory to have 74% FDI for each and every insurance company. We have not made it compulsory. It is only an enabling provision. We are not forcing Indian companies that you must have 74% of foreign equity. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। केवल एक प्रावधान रखा है कि अगर कोई निजी कंपनी foreign equity 74% तक करना चाहे, तो कर सकती हैं।

We are merely saying that if you wish to have a foreign equity, you want a foreign collaboration then you can go up to 74%. It is not being forced on any company. It is for them to decide how much equity they want and it is for the foreign collaborators, they have to decide, how much they are going to invest in that particular company.

Sir, still, there may be Indian companies who will be 100% Indian Companies. कोटक महिन्द्रा 100% इंडियन कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर में करीब एक

दर्जन कंपनीज होगी, जिन्होने Foreign Collaboration नहीं किया, जिन्होनें FDI की लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया and who will not like to share the equity with anyone else.

महोदय, हमको इतना डरने की क्या जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, विदेशी कंपनियां आ जाएंगी और भारत को खा जाएंगी। वह जमाना चला गया। Sir, if we want to enter the 21st century, we should not have a mindset of 18th century. अगर 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है तो 19वीं शताब्दी की मानसिकता से 21वीं शताब्दी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। India is a powerful country and no country in the world can take us for a ride. हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि कोई आएगा और पूंजी लेकर चला जाएगा। Nobody can do it. जब तक नरेन्द्र मोदी जी का राज है, कोई भी विदेशी कंपनी यहां से पूंजी लेकर बाहर नहीं जा सकती। महोदय, Already, there is more than 74% of FDI in the banking sector. अगर बैंकिंग सेक्टर में 74% एफडीआई है – तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों नहीं किया जा सकता है ?

महोदय, निर्मला जी ने जब बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि 'Allowing foreign ownership and control with safeguards.' The Word which has been used in the Budget Speech is, 'Control with safeguards.'

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (CONTD.) : बिल में प्रावधान किया गया है कि Majority of the Directors in the Board and key management persons like CEO, CFO, CRO, all of them will be resident Indians. They will not be foreigners, they will not be Americans. They will be resident Indians. महोदय, अगर foreign ownership भी है, तो भी 50% Directors being Independent Directors, Directors में Indians का बहुमत है, Resident Indians हैं।

महोदय, बार–बार एक बात कही जाती है कि वे पैसा लेकर चले जाएंगे, There is Section 27E in the Insurance Act. मैं उसे पढना चाहूंगा। It says, "No insurer shall directly or indirectly invest outside India, the funds of the policymakers." यानी कोई भी, चाहे वह Indian investor हो या foreign investor हो, वह premium का पैसा भारत से बाहर नहीं ले जा सकेगा और भारत से बाहर ले जाकर, उसको invest नहीं कर सकेगा। This is the safeguard. Nobody can dare

to take the money from this country and invest in any foreign country.

आज insurance की public sector companies संकट के दौर से गुजर रही है। All these companies have to abide by solvency margin. Solvency margin means, जो asset and liabilities हैं, उसका 150% का ratio होना चाहिए। यानी आपकी जो liability है और जो asset है, the asset should be 150% of your liability. अगर 100 रुपए की liability है तो आपके पास 150 रुपया होने चाहिए। This is known as 'solvency margin'. महोदय, United India Insurance Company का solvency margin is only 86%. It should have been more than 150%. National Insurance Company's solvency margin is only 20%.

महोदय, In this financial year, the Government of India is going to invest, going to infuse Rs. 13,500 crores as capital in these insurance companies. महोदय, अगर ये stress में नहीं होतीं, अगर इनका Solvency Margin ठीक होता, तो सरकार 13,500 crores सड़क पर या किसी और काम पर खर्च करती ? But we are forced to invest, we are forced to infuse Rs.13,500 crores and we have already infused Rs. 9,500 crores and another Rs. 3,000 crores has been provided in the supplementary Budget for this financial year.

महोदय, General insurance की दो companies की यह स्थिति है और तीसरी Company Oriental Insurance है, उसका Solvency Margin 137% है. It is still below 150%. It means that all the three general insurance companies are in distress, they are in financial distress and they require more and more money to infuse capital for their survival.

महोदय, ऐसी स्थिति में अगर FDI की limit को बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो इसमें गलत क्या है? आनन्द शर्मा जी पूछ रहे थे कि 2015 में FDI limit was increased from 26% to 49%, उसके बाद कितना foreign capital आया है? आनन्द जी over Rs.26,000 crores FDI has come in this insurance sector. Rs. 26,000 Crores FDI का inflow पिछले पांच साल के अंदर insurance sector में हो चुका है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): मुझे इसे बात की पूरी उम्मीद है कि 49 से बढ़ाकर 74% करने के कारण, in the next 3 years, more than Rs.30,000 crores will be invested in the insurance sector of this country.

महोदय, विपक्ष कह रहा है कि capital की कोई दिक्कत नहीं है। Sir, this is

capital intensive industry, requiring huge capital and it is a risky business. यह कोई सामान्य बिजनेस नहीं है, यह risky business है। यदि earthquake आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ बड़ी घटना घट गई, तो इंश्योरेंस कंपनी को लाखों-करोड़ों रुपये pay करने पड़ेंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी का जो break even है, that is 10 years for life insurance companies and for the general insurance company, the break even point is 5 to 7 years. आज अगर पूंजी लगाएंगे, तो 7 से 10 साल बाद लाभ मिलेगा। All the insurance companies are facing liquidity problem in this country.

They are not in a position to meet solvency and growth requirements, इसलिए भारत का कोई भी पूंजीपति या उद्योगपति इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि They have plenty of money, there are no problems of liquidity in the insurance sector. But, no big industrialists of this country are ready to invest in insurance sector because of its high risk factor and because of its long gestation period. इसलिए अगर भारत के उद्योगपति पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार ने FDI 49% को बढ़ाकर 74% कर दिया - safeguards के साथ, भारत को लाभ हो रहा है या भारत को नुकसान हो रहा है।

And, somebody said that there was no consultation. I would like to enlighten my friends that extensive consultation with the industry by IRDAI has taken place, not one round कई राउंड्स के अंदर इन लोगों ने stakeholders के साथ वार्ता की है।

महोदय, यह 1938 का एक्ट है। Insurance Act is of 1938 और 1956 में Life Insurance का nationalization हुआ। 1958 में LIC Corporation Act बना। And, in the year 1972, the General Insurance was nationalized and General Insurance Business (Nationalization) Act] 1972 was enacted. आप कह रहे हैं कि आपने FDI का विरोध किया, मैंने समर्थन किया। सर, 1990 की बात अलग है और 2004 की बात अलग है। सर, समय बदलता है और समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। So what was said yesterday is not valid today. हम Technical details में जा रहे हैं, हम तकनीकी चीजों के अंदर जा रहे हैं। We are not going on merits. We are going in technical details.

महोदय, RBI के Ex-Governor, Mr. R.N. Malhotra की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरह का

reform लाया जाए । लेकिन रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की तीन-तीन सरकारें चली गईं। But, they could not dare to bring about any reform in the insurance sector. And, I must congratulate Mr. Chidambaram -- he is not in the House -- when he was in Tamil Maanila Congress and was Finance Minister with Mr. I.K. Gujral, he tried his best to bring about a Bill for creation of insurance regulatory authority. उनको सफलता नहीं मिल पाई।

...(व्यवधान)...

SHRI JAIRAM RAMESH : It was opposed by your party.

श्री सुशील कुमार मोदी : जयराम रमेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय बदलता है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): सुशील जी, आप इधर देखकर बोलिए।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, एक समय में हम लोग computerization का विरोध करते थे। आज हम लोग ही सबसे ज्यादा tech-savvy हैं। सर, समय बदलता है, तो समय के अनुसार लोगों को बदलने की आवश्यकता है। सन् 2000 में पहली बार private participation और 26% FDI का बिल अगर किसी सरकार में पारित हुआ, तो it was Shri Atal Bihari Vajpayee's NDA Government. पहली बार इंश्यारेंस सेक्टर में reform हुआ -- आप क्यों नहीं कर पाए? हमने GST कैसे लागू कर दिया? आप जीएसटी क्यों लागू नहीं कर पाए because it requires strong political will.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (CONTD.): A weak leader cannot implement GST, he cannot bring GST. A weak leadership cannot bring about--- (Interruptions)---

SHRI ANAND SHARMA : Sir, he is trying to--- (Interruptions)---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आनन्द जी, अभी आपके स्पीकर्स हैं।...(व्यवधान)...उन्होंने आपका आपका नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान)... प्लीज आनन्द जी।...(व्यवधान)... सुशील जी, आप बोलिए।...(व्यवधान)... Nothing will go on record. केवल सुशील जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, बाकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)... आपकी पार्टी की तरफ अभी एक स्पीकर और हैं।

श्री आनन्द शर्मा : *

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Nothing will go on record, केवल सुशील जी की स्पीच रिकॉर्ड में जाएगी।

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, वर्ष 2000 में इस देश के अंदर केवल सात

insurance कंपनियां थीं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन और एफडीआई को लिबरलाइज करने का परिणाम हुआ कि आज देश के अंदर 56 insurance companies हैं। 49 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में **7** Public Sector में हैं। The premium share of public sector is 57.8% whereas the premium share of private sector is 42.2%. आप एलआईसी की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि भारत के अंदर एक दर्जन एलआईसी होनी चाहिए। एक एलआईसी से भारत का काम नहीं चलेगा। We require one dozen institutions like LIC, तब जाकर हम इस देश के करोड़ों लोगों के insurance की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, तो Insurance में 42.2% प्रीमियम प्राइवेट सेक्टर का शेयर है, वह नहीं हो पाता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की भूमिका से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। महोदय, 56 कंपनियों में 24 Life Insurance, 27 General Insurance, 7 Standalone Health Insurers Companies हैं। अटल जी की सरकार तथा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को allow किया, 26% FDI लाए, फिर बढ़ा कर 49% कर दिया और यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की इच्छाशक्ति है कि 2015 में 49% कर दिया और पांच साल के भीतर इसको बढ़ाकर 74% करने हेतु बिल को इस सदन में पेश करने का काम किया है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No running commentary, please.

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, ये जो 56 कंपनियां हैं, उनमें केवल पांच कंपनियां हैं, जिनका कि 49% एफडीआई Saturation Point पर पहुंच गया है। Aditya Birla Sun Life Insurance, Aegon Life Insurance, Aviva Life Insurance, Edelweiss Tokio Life Insurance, Reliance Nippon Life Insurance have reached the peak, i.e., 49%. Now, those companies want more foreign equity, why should not we allow? हम उनको क्यों नहीं allow करें, पांच कंपनियां हैं, जिनका एफडीआई 49% तक पहुंच गया है। महोदय, अगर कोई foreign कंपनी भारत के अंदर आएगी और equity में invest कर रही है, तो वह क्यों नहीं चाहेगी कि हमारा उस पर अधिकार हो? भारत में सैकड़ों विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हमने safeguard provide किया है।

Insurance Act और IRDAI की पूरी गाइडलाइन बनी हुई है कि इन्सुरेंस कंपनी किस क्षेत्र में कितना invest करेगी ।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): ऐसा नहीं है कि वे उस पैसे का कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, एलआईसी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वे इन्फ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी, बाकी में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी, इसके लिए IRDAI कि गाइडलाइन बनी हुई है ।

महोदय, केवल सरकारी कंपनी कि मोनोपोली क्यों होनी चाहिए? क्या केवल सरकारी कंपनियां रहेगी? क्यों नहीं उनमें स्पर्धा होनी चाहिए? अगर लेवल ऑफ कॉम्पिटीशन बढ़ेगा, तो नये-नये प्रोडक्ट्स आयेंगे, प्रीमियम का रेट घटेगा, So level of competition will bring better products with lower costs. It will be an effective vehicle for household savings, लोगों की बचत का बड़ा माध्यम insurance है। एलआईसी अरबों-खरबों रुपया इस देश के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, So, it will be creating long-term assets in the economy, faster growth & employment generation. आज एलआईसी के लाखों एजेंट्स काम कर रहे हैं। अगर संख्या बढ़ेगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। FDI और विदेशी कम्पनियों के आने से विदेशियों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, भारत के अंदर रहने वाले गरीब बच्चों को ही रोजगार मिलेगा। It will also benefit smaller insurance companies, जिन्हें लिमिटेड एक्सेस के लाँग टर्म कमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ये विदेशी कम्पनियाँ Greater technical know how, global best practices, global best expertise in creating new products, better under writing of skills लेकर आएँगी ।

महोदय, मैं फिर एक बार निर्मला सीतारमण जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1 फरवरी की घोषणा के बाद, डेढ़ महीने के भीतर इस बिल को लाने का काम किया है। शिवसेना एवं एनसीपी के लोग सदन में बैठे हुए हैं, जिन लोंगों ने 2015 के बिल का समर्थन किया था । कांग्रेस ने भी मदद की थी। मैं एक बार कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करूंगा, don't go into the nitty-gritty and technical details,

हमारे पास समय कम है, हम और समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। जब 49% FDI का मामला था, तब वह स्टैंडिंग कमेटी में गया था। देश की आवश्यकता है कि रिफॉर्म होना चाहिए। अगर यह मौका चूक गए, तो इस देश के अंदर फिर कोई रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं नरेन्द्र मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे एग्रीकल्चरल रिफॉरर्स पर अड़े हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉरर्स देश को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं सभी दलों के सदस्यों से अपील करता हूँ, वे सर्व-सम्मति से इस बिल को पारित करें, धन्यवाद।

✪✪✪

Finance Bill, 2021 पर 24 मार्च, 2021 को राज्य सभा में दिया गया भाषण

श्री उपसभापति : माननीय सुशील कुमार मोदी ।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं देश की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2020-21 महामारी के दौर से गुजरा है। पिछला एक वर्ष किस प्रकार से गुजरा है, यह सोच कर आदमी की देह में सिहरन पैदा हो जाती है। It was like a nightmare. लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से महामारी का मुकाबला किया है। महोदय सदन को यह नहीं ज्ञात होगा कि इस Pandemic के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने केवल विदेश के मंत्रियों के साथ, यानी विदेशों में रहने वाले प्रधान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ 120 meetings की है।

वर्ष 2020-21 में 20 लाख, 20 हजार करोड़ रुपए revenue collection का अनुमान किया गया था। लेकिन महामारी के कारण राजस्व संग्रह में लगभग 23% की कमी आ गई मात्र 15 लाख, 55 हजार करोड़ रुपए ही संग्रह होने का अनुमान है ।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (CONTD.): There is a revenue shortfall of more than 23% in the financial year 2020-21. Corporate Tax में लगभग 34%, Income-tax में भी लगभग 28% तथा GST के कर संग्रह में लगभग 12% की कमी आने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में लोगों को लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगेगा, COVID Tax लगेगा अथवा टैक्स की दर में वृद्धि की जाएगी, लेकिन जनता पर किसी भी प्रकार के करों का बोझ नहीं लादा गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया । ज्ञातव्य है सरकार द्वारा 2019-20 में ही Corporate Tax, Income Tax, Dividend Distribution Tax में काफी रियायत दी जा चुकी है।

महोदय, ऐसे समय में अगर कोई नया टैक्स लगा, तो वह Agriculture Infrastructure and Development Cess लगा। सैस लगाते समय सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि उन चीजों पर पहले से जो excise duty, customs duty थी, उसको कम किया जाए और उसके बाद ही यह सैस लगाया गया। जनता पर किसी भी प्रकार करों का कोई बोझ नहीं आने दिया गया।

महोदय, इस सैस से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपये प्राप्त होगा। This is not

part of the divisible pool. But this would be made available to the states to develop APMC's mandi and for infrastructure of local mandi. यानी यह 30,000 करोड़ रुपया कृषि की आधारभूत संरचना पर खर्च किया जाएगा जो APMC की मंडियां या अन्य मंडियां हैं, उन पर खर्च किया जाएगा। इस तरह अंतत: तो यह सारी राशि राज्य के माध्यम से ही खर्च होगी। ऐसा नहीं है कि यह 30,000 करोड़ रुपया केन्द्र की सरकार अपने खजाने में रख लेगी। महोदय, इस तरह Agriculture Infrastructure and Development Cess के रूप में अगर सरकार ने cess लगाया है, तो उसका बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा और राज्यों के माध्यम से ही खर्च होगा ।

महोदय, Direct Tax का एक बड़ा हिस्सा है – Income-Tax. दुनिया की जो developing and developed economies हैं, उनके मुकाबले Income-Tax की दर सबसे कम भारत में ही है। अमरीका में Income-Tax की maximum दर 40% है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना, साउथ अफ्रिका, आदि देशों में Income-Tax का highest slab 45% है, जबिक इंडिया में यह केवल 30% है। जहां तक Minimum Slab की बात है, तो United States में यह 10%, साउथ अफ्रिका में 18%, लेकिन भारत में Income-Tax का lowest slab केवल 5 % है। महोदय, 1960–70 के दशक में इस देश में Income Tax की दर 90% थी, लेकिन आज सरकार ने घटा कर 30% कर दिया है। दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत में Income-Tax रेट चाहे वह Minimum हो या Maximum हो, सबसे कम है।

महोदय, कुल टैक्स रेवेन्यू का 22.7% Income Tax से प्राप्त होता है। Income-Tax से जो राजस्व मिलता है, उसमें जो Salaried लोग हैं they account for about 59% of declared income and only 27% was from business income. यानी आज भी Income-Tax में कर संग्रह की बहुत बड़ी सम्भावना है, क्योंकि Income-Tax Collection का 59% भाग Salaried लोगों से प्राप्त होता है, वहीं केवल 27% Business से प्राप्त होता है। महोदय, पिछले वर्षों में More than 5,53,00,000 individuals filed their return and , 40.5% did not pay any tax.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): क्योंकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती थी। 53% लोगो की Declared average Annual income was only Rs. 5.6 lakhs और जिन्होंने 22,538 रुपये औसत भुगतान किया। केवल 6.3% लोग हैं, जिनके माध्यम से 79% का रेवेन्यु प्राप्त होता है। भारत में रिटर्न फाइल करने वालों की

संख्या जहां 2013-14 में 3 करोड़ 31 लाख थी, वह 2018-19 में बढ़कर 6 करोड़ 33 लाख हो गई है। लेकिन जिन्होंने एक्चुअल इनकम टैक्स दिया है, उनकी संख्या में काफी कम है।

महोदय, दूसरा डायरेक्ट टैक्स है - कॉरपोरेशन टैक्स। टोटल रेवेन्यु का 32% कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होता है। सरकार ने सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को ब्रिक्स और ओईसीडी नेशन्स के समकक्ष लाने का प्रयास किया है, ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो सके। परन्तु दुर्भाग्य से 4-6 महीने के बाद ही महामारी का दौर प्रारम्भ हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ेंगे।

महोदय, 2019-20 में सरकार ने Income Tax के 80c के अन्तर्गत 71 हजार करोड़ तथा Corporate Tax में 99,842 करोड़ का टैक्स Incentive दिया। Income Tax तथा Corporate Tax में कुल 2 लाख करोड़ का Tax Incentive दिया गया। अभी Congress के लोग Tax-GDP ratio की बात कर रहे थे। 2011-12 में टैक्स जीडीपी रेश्यो जहां 10.2% था वही हमारी सरकार आने के बाद 2018-19 में it has increased to 11%. There is an increase of 0.8% in Tax-GDP ratio.

महोदय, सरकर ने 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को Tax-return file करने से मुक्त कर दिया है। 2011 के सेन्सस के अनुसार इस देश में 10 करोड़, 40 लाख, साठ साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। 75 साल से ऊपर के इंडियन रेजिडेन्ट्स जिनको केवल पेन्शन और इंटरेस्ट से आमदनी होती है, उनको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। The bank will compute his income and deduct Income Tax, it will reduce compliance burden on senior citizen tax payers.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): महोदय, Direct Taxes में बड़ी संख्या में disputes हैं। मार्च, 2020 तक more than 9,99,000 crores of rupees is in tax disputes, जबकी मार्च, 2012 में tax disputes केवल 2 लाख, 86 हजार करोड़ था। महोदय, Corporate Tax में 4 लाख, 34 हजार करोड़ और Income Tax में 4 लाख, 49 हजार करोड़ Tax Disputes है। इस Finance Bill द्वारा Tax Disputes को कम करने हेतु नए कदमों की घोषणा की गई है।

महोदय, Ease of doing business के अन्तर्गत सरकार compliance को सरल करने का प्रयास कर रही है। Income Tax और Corporate Tax में जो

Assessment होता है – Assessment, Reassessment and re-computation—earlier it was 21 months. सरकार ने 2018–19 में 21 महीने से घटाकर 18 महीने किया, 2019–20 में इसको फिर घटाकर 12 महीने किया और अब further reduced by three months, and now nine months from the end of the Assessment Year. यानी पहले जहाँ assessment पूरा करने की समय–सीमा 21 महीने थी, उसको घटाकर 18 महीने, उसके बाद 12 महीने और फिर अब उसकी समय–सीमा 9 महीने निर्धारित की गई है, ताकि Tax के जो Disputes हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन हो सके।

महोदय, इसी प्रकार faceless proceedings हैं, Assessment, appeal, penalty के लिए 13 अगस्त, 2020 को faceless scheme introduce की गयी है। यह faceless scheme क्या है – Assessing Officer कौन होगा, यह किसी को पता नहीं होगा और जिसका assessment किया जा रहा है, वह व्यक्ति कौन है, उसको भी कोई नहीं जानता, it is faceless. इसके साथ ही जो old age territorial system था, उसको खत्म कर दिया गया और अब यह randomly choose किया जाता है। किसी को पता नहीं होता कि कौन हमारा assessment कर रहा है – assessment एक आदमी करेगा, ऑर्डर दूसरा आदमी पास करेगा। महोदय, Assessment, appeal and penalty में जो faceless proceedings आरम्भ किया गया था, 7 मार्च तक 78,950 orders have been passed under the faceless assessment scheme. अब tribunal के अन्तर्गत करवाई भी faceless proceedings के अन्तर्गत होगा। महोदय, जब faceless assessment नहीं था, manual system में large additions were made in 60% of cases. यानी Assessment जितने cases में हुआ, उसके 60% cases में और add कर दिया जाता था कि आपको और भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जब से faceless assessment प्रारम्भ हुआ है, Additional Tax, demand were in only 4,000 cases i.e. 8% of the total cases.

उसी प्रकार से इन Tax Disputes के निष्पादन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने **'विवाद से विश्वास'** नामक एक योजना 17 मार्च, 2020 को प्रारम्भ की थी। It will reduce pendency of tax litigation, generating timely revenue for the Government and giving benefit to taxpayers, giving them peace of mind. इसको ऐतिहासिक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है। कोविड के बाबजूद योजना के तहत अभी तक 1 लाख, 30 हजार Declarations have been filed of Rs.98,500 crores of

disputed tax. Till now already Rs.53,000 crores have been credited in the Treasury of India.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): छोटे टैक्सपेयर्स के लिए Finance Bill में Disputes Resolution Committee का प्रावधान किया गया है। जिनकी income 50 लाख रुपए है और जिनका Disputed Tax 10 लाख रुपए तक है, वैसे Small and Medium Tax Payers के लिए DRC की व्यवस्था है। DRC has the power to grant immunity from penalty and prosecution to tax payers whose dispute is resolved. यह एक प्रकार से टैक्स अदालत के रूप में काम करेगा।

महोदय, मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहूँगा और वह EPF है। इसके पहले 'Employees' Provident Fund में कोई व्यक्ति कितना भी contribute कर सकता था, 8% assured interest मिलता था, लेकिन इस तरह के मामले सामने आए कि An individual has deposited Rs.103 crore in EPF और 20 top लोगों के कुल 824.53 करोड़ रुपए EPF में जमा हैं। महोदय, यह 'Employees' Provident Fund साधारण लोगों के लिए बना है और अगर एक आदमी इसमें 103 करोड़ रुपए जमा करता है और उसको Tax-Free ब्याज incentive के तौर पर मिलता है, तो क्या यह उचित था? बिल में यह प्रावधान किया है कि अब कोई व्यक्ति एक साल में अधिकतम ढाई लाख तक ही जमा कर पाएगा और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि इसको बढ़ा कर पाँच लाख रुपए कर दिया गया है। EPF के अंदर कुल Contributors की संख्या चार करोड़, पचास लाख है। Out of 4.5 crore contributors, only 1.23 lakh were total subscribers contributing more than Rs. 2.5 lakh. महोदय, अगर हम उनको Tax का incentive दे रहे हैं, Assured interest दे रहे हैं, तो क्या यह EPF एक करोड़, दो करोड़, दस करोड़ रुपए जमा करने वालों के लिए है? इसलिए सरकार ने EPF की capping करने का काम किया है।

महोदय, उसी प्रकार Tax Audit का मामला है। पहले जिनका टोटल टर्नओवर एक करोड़ रुपए से ज्यादा था, उन सभी लोगो को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था। पहले इस राशि को बढ़ा कर पाँच करोड़ रुपए किया गया, अब इसको और बढ़ा कर दस करोड़ रुपए किया जा रहा है। परन्तु यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो अपने Total Receipt and Total expenditure का 95% online करेंगे। ऐसे लोगों को Tax Audit से exempt करने का निर्णय लिया गया है।

महोदय, जीएसटी में संशोधन किया गया है, मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। prior to GST, there were only 65 lakh registered dealers in VAT,

Central Excise and Service Tax. But, after implementation of GST, the number has increased to 1.30 crore, यानी 65 लाख नए लोगों ने जीएसटी में अपना निबंधन कराया है। 2015-16 में 13 टैक्सेज को subsume करके जीएसटी लागू किया गया, उस समय राज्यों का ग्रोथ रेट सिर्फ सात से 8% था जबकि वर्ष 2019-20 में राज्यों को 12% ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ है। आज जीएसटी के कारण किसी बॉर्डर पर चेकपोस्ट नहीं है, सारे चेकपोस्ट्स खत्म कर दिए गए। ट्रेड का जो Logistic Cost है, वह 25 परसेंट कम हो गया, Time Saving हुई है – गाड़ियों की आवाजाही में 40 परसेंट समय की बचत हुई है।

(उपसभाध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर पीठासीन हुए) महोदय, जब जीएसटी लागू हुआ, तब कुछ लोगों के द्वारा इसका बड़ा विरोध किया गया कनाडा का उदाहरण दिया गया था। कनाडा में 1992 के चुनाव में वहाँ के मुख्य विपक्षी दल ने जीएसटी का विरोध किया और सत्ताधारी दल चुनाव हार गया।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : कहा जाने लगा कि नरेन्द्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। महोदय, जीएसटी लागू करने के बाद नरेन्द्र मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से लौटकर आई और जिस सूरत के अंदर जीएसटी का भारी विरोध हो रहा था, वहाँ कॉंग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पायी। महोदय, आज दुनिया के 160 देशों में जीएसटी लागू है और अब Next phase of reforms में जाने की आवश्यकता है। 15th Finance Commission ने यह सुझाव दिया है कि श्री-रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, 12% और 18% के टैक्स स्लैब को Merge कर 15% का एक नया टैक्स स्लैब बनाए जाने की आवश्यकता है।

जीएसटी में भी कई तरह के सुधार किए गए हैं। पहला, Interest will be limited only to the cash component of the Tax. जीएसटी मे जब कोई अपने कर का भुगतान करता है, It includes input tax credit as well as cash also. इस कारण जो late payment करने वाले लोग थे, उन्हें दोनों पर Penalty Interest का भुगतान करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2017 से जो भी टैक्स की liability है, उसमें जो Cash Component है, उन्हें केवल उसी पर penalty का भुगतान करना पड़ेगा।

इसी प्रकार जीएसटी में जिनका टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान था। उन्हें उस ऑडिट रिपोर्ट से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ reconciliation statement को एनुअल रिटर्न में merge कर दिया गया है। महोदय, टैक्स पेयर्स को हर साल लगभग 4 हजार करोड़ रूपए Audit पर वहन

करने पड़ते थे। अब उन्हें टैक्स ऑडिट से मुक्ति के कारण एक बड़ी राहत प्राप्त होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि Petrol, Diesel से प्राप्त Tax सरकार की Pocket में चला जाता है। महोदय क्या सरकार की Pocket कोई अलग Pocket है? Excise duty और अन्य Tax से जो पैसा आता है, वह सरकार के खजाने में ही जाता है। आज घर-घर बिजली पहुंची है, घर-घर शौचालय बना है, हर घर नल-जल दिया जाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर हम डीजल और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को देश के विकास के कामो में खर्च कर रहे हैं, तो उसे भी चुनौती दी जा रही है। महोदय, अगर पेट्रोल या डीजल की कीमत सौ रुपए है, तो उसमें 60 रुपए टैक्स के रूप में लगते हैं। इसमें से 35 रुपये केन्द्र को और 25 रुपये स्टेट को मिलते हैं और जो केन्द्र के 35 रुपये हैं, उसमें से भी 42% पैसा राज्यों को प्राप्त होता है।

महोदय, बार-बार कहा जाता है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया, तो राज्यों को दो लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? पेट्रोल और डीजल का 60% रेवेन्यू -प्रतिवर्ष लगभग पाँच लाख करोड़ रुपया स्टेट और सेंटर को प्राप्त होता है। जीएसटी का Highest Slab 28% है और अभी 60% टैक्स लिया जा रहा है, केन्द्र और राज्यों को मिलाकर 4 लाख करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी?

महोदय, 28% टैक्स का मतलब है कि केन्द्र-राज्य, दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त होंगे। The States & centre will get only Rs. 14 as GST if petroleum products are put in the GST regime. आज जहाँ उन्हें 60 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ कल उन्हें 14 रुपये मिलेंगे, तो 46 रुपए का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? यह संभव नहीं है कि आगे आने वाले आठ-दस वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। चाहे कॉंग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी सरकार 4 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होगी। महोदय, आगे आने वाले दिनों में भी यह जीएसटी में शामिल नहीं हो सकेगा। जीएसटी पर विपक्ष में बैठे लोग मजाक उड़ाते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : किसी ने कह दिया कि यह 'गब्बर सिंह टैक्स' है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, किसी भी मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर का विरोध क्यों नहीं किया?

आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिए। बाहर बयान देना आसान है, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए नरेन्द्र मोदी जी जैसी हिम्मत चाहिए। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, तो वह इस देश में जीएसटी को लागू नहीं कर पाता।

महोदय, अरुण जेटली जी ने GST के लिए consensus पैदा किया। मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। I had attended more than one dozen meetings presided over by Nirmala Sitharamanji. The way she conducted the meetings, अरुण जेटली जी की तरह ही निर्मला जी ने Consensus पैदा करने और राज्यों के साथ मिलकर जीएसटी को लागू करने का प्रयास किया है।

महोदय, विपक्ष के लोग कहते हैं कि GST is an attack on poor. It is an attack on small and medium industries. Congress के लोग कहते हैं कि GST का single रेट होना चाहिए। महोदय, क्या हवाई चप्पल का रेट वही होगा, जो पेट्रोल और डीजल का रेट होगा? क्या कपड़े का रेट वही होगा, जो गाड़ी का रेट होगा?

महोदय, Finance Bill के द्वारा जिस प्रकार के संशोधन लाए गए है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने Pandemic के समय में देश की अर्थव्यवथा को पुनः पटरी पर लाने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरी दुनिया में Highest growth rate हिन्दुस्तान को प्राप्त होगा। अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी स्टडीज आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि India will have the highest growth rate in 2021-22.

महोदय, मैं फिर से एक बार निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जयहिन्द, जय भारत।

✪✪✪

ALL INDIA JUDICIAL SERVICE

के गठन के सम्बन्ध में

SPECIAL MENTION के अन्तर्गत 22 मार्च, 2021 को उठाया गया मुद्दा

DEMAND FOR CONSTITUTION OF ALL INDIA JUDICIAL SERVICE

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR): Sir, in the year 1976, Article 312 of the Constitution was amended by 46th Constitution Amendment for providing constitution of All India Judicial Service on the pattern of IAS, IPS and other All India Services.

It may be recalled that the Law Commission's 14th Report 1958 and 116th Report 1986 and the National Commission to Review the Working of the Constitution Chaired by Justice H.R. Khanna and Justice Shri B.P. Jeevan Reddy and Shri K. Parasaran as members, also recommended that All India Judicial Service should be formed.

Even after 45 years of 46th Constitution Amendment, All India Judicial Service has not seen the light of day. Today, there is negligible representation of SCs, STs and OBCs in the Judiciary. We also wish that proper reservation to SCs, STs and OBCs be given in all India Judicial Service.

When earlier efforts were made, there was opposition from the judiciary and some raised language as a barrier for such an All India Service. But I think language should not become a hindrance in such a service because IAS officers also go to different States and language never becomes a hurdle in their way.

Now time has come to constitute All India Judicial Service. I urge the Government of India to take this initiative and take all the stakeholders into confidence and fulfil the demand of All India Judicial Service. Like the GST and the IBC, this will go down in the history as a milestone in judicial reforms.

श्री सभापतिः जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि वह रिकॉर्ड में जाएगा।

✪✪✪

गूगल, फेसबुक भुगतान करे प्रिन्ट और टी.वी. चैनल को

17 मार्च, 2021 को शून्य काल में उठाया गया मुद्दा

DEMAND FOR ENACTING LAW FOR SHARING OF REVENUE EARNED ON NEWS ITEMS BY SOCIAL MEDIA WITH PRINT AND ELECTRONIC MEDIA

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR): Sir, as we all know that the traditional news media like the print media, news channels and news broadcasters are passing through their worst phase in recent history. They are in deep financial crisis. Earlier, it was because of pandemic and now it is because of tech giants like YouTube, Facebook and Google. We all know that these traditional news media make heavy investments employing anchors, journalists and reporters. They gather the news, verify the news and they deliver credible information. Advertisement is the main source of revenue for the news industry. But, in the past few years, with the advent of tech giants like Google, Facebook and YouTube, the largest share of advertisements is taken away by these tech giants. हाल के वर्षों के अंदर और जैसा मैंने कहा कि advertisements से जो आमदनी होती है, उसका बड़ा हिस्सा इन tech giants के पास चला जा रहा है। इसके कारण जो प्रिंट मीडिया और न्यूज चैनल्स हैं, they are passing through a financial crisis. I would urge that we should follow country like Australia because we all know that Australia has taken a lead by enacting a law, 'News Media Bargaining Code'. Last week, the Australian Parliament passed a law by which they have compelled Google to share advertisement revenue with the news media. In Australia, the Google threatened and for one week, they blacked out the news on their portal, but, ultimately, it was enacted and they had to surrender. Australia has set precedence and now France and other European countries are making laws for sharing of advertisement revenue. मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि the way they have notified

intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, 2011, to regulate social media and OTT platforms, in the same way they should enact a law on the pattern of Australian Code, so that we could compel Google to share its revenue with traditional media. India should take a lead in making Google and Facebook pay a fair share of earnings they make from domestically-produced news content on the Internet.

Mr. Chairman: Okay. This is a suggestion worth considering. आपका टाइम खत्म हो गया है। Now, Shri Vivek K. Tankha.

गूगल, फेसबुक भुगतान करे प्रिन्ट और टी.वी. न्यूज चैनेल को

शून्य काल के दौरान दिनांक 17 मार्च को उठाया गया मुद्दा

सुशील कुमार मोदी, सांसद

- देश का प्रिंट मीडिया/न्यूज broadcasters, न्यूज चैनेल भारी संकट के दौर से गुजर रहें हैं।
- ये समाचार संकलन करने, उसकी सच्चाई का पता लगाने और लोगों को सटीक जानकारी देने के लिए पत्रकारों, Reporters, Anchors, कैमरामेन, ऑफिस आदि पर अरबों रूपये खर्च करते हैं।
- इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है।
- परन्तु हाल के वर्षों में youtube, Facebook, Google के आने के बाद विज्ञापन का बड़ा हिस्सा इन Tech Giants के पास चला जाता है।
- ये इनके बनाए न्यूज content को अपने platform पर display करते हैं और इसमें विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाते हैं।
- इस प्रकार Google आदि बिना खर्च किये दूसरे के बनाए News content को अपने platform पर दिखला कर पैसा कमा रहे हैं और परम्परागत मीडिया विज्ञापन की आय से वंचित हो रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया ने Traditional मीडिया के साथ revenue sharing के लिए कानून बनाने की बात कही तो Google ने सात दिनों तक news content को block कर दिया।
- अंतत: Australia की सरकार ने News Media Bargaining code कानून बनाया और Google को revenue sharing के लिए बाध्य कर दिया।
- Australia की तर्ज पर France और अनेक देशों में कानून बनाने की पहल हुई।

- भारत सरकार ने Social Media के दुरूपयोग को रोकने के लिए Intermediary Rules Notify किया है।

- मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि Australia के समान भारत में कानून बनाए ताकि Google आदि को Advt. के revenue sharing के लिए बाध्य किया जा सके ताकि भारत के print और News TV चैनल को आर्थिक संकट से उबारा जा सके।

आत्मनिर्भर भारत needs
आत्मनिर्भर news industry

✪✪✪

Why Insurance Amendment Bill is need of the hour and how it will save the insurance sector?

Written by ***Sushil Kumar Modi***
Ex- Deputy Chief Minister of Bihar
Member of Parliament Rajya Sabha

In yet another remarkable move, both the houses of the parliament have passed the insurance amendment bill in the budget session. The bill amends the Insurance Act 1938, increasing the FDI limit from 49% to 74%. In 2015, Modi government increased it to 49% from 26% and now in 2021, it spiked to 74%. In 1994, a committee headed by Ex-RBI Governor R.N. Malhotra, formed by the then Congress government recommended inclusion of private insurers and foreign collaborators. But it wasn't until 2000, under the Vajpayee government, when a bill was passed to welcome private players and allow foreign investment up to 26%. This was the first time ever that insurance sector witnessed policy reforms.

Since 1994, the three occasions when congress government came to power, it failed to pass any noteworthy reforms in the sector. Appreciatively, NDA government that has persistently showcased aptitude for bold policy reforms through GST, Insolvency Bankruptcy code, Development finance institution and privatization has yet again proven its strong political will in bringing about groundbreaking reforms through this amendment.

This amendment is an enabling provision. It is not mandatory to have 74% FDI in Indian insurance companies however, if the company desires, then it may increase its foreign equity share up to 74%. We would be mistaken if we assumed that companies do not require expansion in FDI limit. 5 private sector companies have saturated at 49% mark and therefore can benefit from added increase.

The bill carries several safeguards that ensure ultimate control lies with the Indian entity. Section 27 E of the insurance act ensures that

Article Published in Financial Express on 19 April, 2021

funds of policyholders are within Indian boundaries – "***No insurer shall directly or indirectly invest outside India the funds of policyholders***". The "Indian ownership and control" requirements under the insurance act have been amended. 50% of board directors and key management members (CEO, CFO, DRO etc) have to be Indian residents. Furthermore, a fixed proportion of the income has to be kept in the general reserve to provide for policyholder claims regardless of foreign investor's financial situation. Effectively, management control of the company would be with the Indian promoter.

The amendments have been formulated post all-embracing consultation from 60 insurance companies done by IRDAI, regulatory body of insurance sector in India. Apprehensions that foreign investors will invade the Indian companies can be annulled as insurance sector is highly regulated. IRDAI is donned with the responsibility of regulating and approving prices, products, marketing, investment and ownership.

In order to be on-par with its global counterparts, India requires healthier insurance penetration and density. The said metrics are symbolic of development of insurance sector in the nation. Insurance penetration percentage in India is 3.76% which is lower when compared to countries like Malaysia (4.72%), Thailand (4.99%) and China (4.3%) and appallingly lower than the global average of 7.26%.

Similarly, India's insurance density performance is not encouraging either. India stands at $78 against a global average of whooping $818. Growing premium would aid in improving insurance penetration and density and this can happen only if more funds are infused into the companies. India has 56 insurers which is extremely low when compared to USA which has 5,965 insurance companies catering to diverse categories.

Insurance companies are plagued with high risk factor due to its capital-intensive nature and unusually long break-even period which can vary anywhere from 7 to 10 years. Indian investors are not willing to capitalize in a magnitude that is essential to meet the solvency ratio and growth requirements of the sector. Instead, the promoters of the

company are being pressurized to liquidate. Additionally, the ongoing global pandemic and ensuing state of economy demand for financial respite. Given the complex nature of the business it is only befitting to invite more foreign collaboration if and when need arises.

Like most other fields, privatization in this area will go long way. The records of 2018-19 data suggests that 20 companies out of the 24 private life insurers that entered the market after 2000, have reported profit and only 7 general insurers out of 21 reported loss. Today the private sector insurance companies account for 42.2% of premium in insurance sector, thanks to the reform passed in 2000 by the Vajpayee government. They have recorded solvency margin of more than 150%, an accomplishment that is held by only LIC (165%) in public sector. United India insurance (86%) and National Insurance (20%) in the public sector are way below the minimum required solvency ratio recommended by IRDAI (150%), indicating financial stress. Besides, private sector has engaged 24 lakh employees as of today as against 17 lakh in public sector. More FDI will benefit private players and accentuate private participation.

In 1999, there were 6 insurance companies in public sector and none in the private sector. Now we have 70 insurance companies (including re-insurers). When the FDI limit was revised from 26% to 49% (in 2015), the sector observed an influx of 26,000 Cr. Nearly 40 insurers have FDI ranging from 26% to 49%. Insurance density spiked from $11.5 to $78. Demonstrated benefit of increasing FDI limit from 26% to 49% paint a sanguine picture for this amendment. 30,000 Cr is estimated to be infused as a result of elevating FDI limit to 74%. Rs. 13,500 Cr has been set aside for the development of insurance sector because it is in dire need of funds. If foreign investment can supplant funding requirements for insurance sector, then in future budgets the money can be allotted to other development sectors such infrastructure or defense.

Higher insurance penetration would imply accelerated competition, more products and services at lower cost and amplified

innovation. Insurance schemes have invariably registered as long-term asset for the nation's economy; for instance, the huge infrastructure investments made by LIC. The latest change will improve efficiency of household savings. Small insurance companies will benefit immensely from this. Boosted foreign collaborations would imply adaption of global technology and practices.

Last but not the least, this will also boost employment opportunities. With only 56 insurance companies we have nearly 41 lakh employees including agents signifying enormous job creation potential. To bolster the insurance sector, we need a dozen more institutions like LIC. In the 21st century, we cannot hold a mindset that belongs to the 18th century. The way to Atmanirbhar Bharat is through radical measures by NDA government.

On Fuel Price, Crude Fact

Sushil Kumar Modi,
Member of Parliament

The rise in global crude prices after August, 2020 has led to a rapid rise in fuel prices across the country which has sparked a demand for including petrol and diesel in GST. It is a huge misnomer that merely including them under GST would lead to a lowering of pump prices since the maximum rate on these products would be capped at 28%. While a decision to subsume petrol and diesel in GST would ultimately lie with the GST Council, prices can be lowered only by lowering the revenue that currently accrues to both the Centre and the States on the sale of these products, whether under GST or outside GST.

With the Centre and the States expected to earn around Rs.5.5 lakh crores by way of revenue from petrol and diesel during the current fiscal year, prices cannot be lowered even reasonably unless there are widespread tax cuts by both the Union and all the States.

The Union and State levies put together account for roughly 55% and 52% of the retail price of petrol and diesel respectively; these work out to around 135% and 116% of the base prices of the two products respectively. It is also interesting to note that the Central levy on petrol and diesel works out to around 36% of the retail price while the State component is around 20% (diesel) to 28% (petrol).

Moreover it is also worth noting that of the total Central levies on petrol and diesel, Rs.1.40 per litre and Rs.1.80 per litre is the Basic Excise Duty and for the two fuels Rs.11 per litre and Rs.18 per litre is the Special Additional Excise Duty. Both these components form part of the divisible pool of taxes, 42% of which (approx. 52000 crs.) goes to the States. The remaining portion of Rs.18 per litre in both cases is Road and Infrastructure Cess and Rs.2.50 per litre and Rs.4 per litre is the Agriculture Infrastructure and Development Cess which are retained by the Centre, to be used only towards Road and Agricultural Infrastructure Development.

With such heavy taxation, prices cannot be brought down unless the taxes are cut. However, revenue from these products forms such a significant component of overall Government revenue that significant tax cuts would be accompanied by significant loss of almost

Article public in Indian Express on 5th April, 2021

assured revenue, since bulk of the revenue from these products is contributed by public sector undertakings.

Being demerit goods, fuel oils and liquor are almost universally subject to a dual levy by countries that implement any kind of VAT or GST; the levy is a mix of GST at a fixed percentage of the price which qualifies for credit in the value chain and a fixed amount or percentage of the price which is not creditable and is thus outside GST. Punitive taxes of this order are levied primarily to discourage consumption of environment-degrading fossil fuels and garner revenue to fund infra-structure while the creditable component enables offsetting of taxes on basically capital inputs.

These products are subjected to a plethora of levies like VAT, Excise Duty, Storage levies, Security levies and Environmental taxes in the EU and the total incidence of such taxes ranges from around 45% to 60%. In Canada, the tax on these products range from 15% GST (5% in case of non-participating provinces) plus around 25 to 30 cents per litre. The USA is exception in these matters since it imposes taxes at as low rates as around 15%.

This model of dual levy is a tried and tested mechanism and could have been easily enabled in the statute. However, the UPA Government deemed it fit to altogether keep the basic petroleum products out of the ambit of GST. Clause 14 of the 115th Constitution Amendment Bill introduced in 2010 sought to define GST as any tax on the supply of goods or services or both except taxes on the supply of petroleum crude, high speed diesel, petrol, natural gas, aviation turbine fuel, and alcoholic liquor for human consumption.

After widespread consultation with stakeholders the NDA Government introduced the 122nd Constitution Amendment Bill introduced in 2014 whereby the only exclusion from GST was alcoholic liquor for human consumption and a provision to the effect that the aforesaid petroleum products would be subjected to GST with effect from such date as the Council may recommend. Such a delayed-choice approach was adopted in view of the reluctance of the States to subject around 25-30% of their assured tax revenue to the initial uncertainties of a new tax regime.

Accordingly, Sections 9(2) and 5(2) of the CGST/SGST Act and the IGST Act, respectively explicitly provide for levy of GST on these products with effect from such date as the Council may recommend. This was a far sighted move on the part of the NDA Government which

now enables the levy of GST on these products without making any further amendment to the Constitution.

Thus, bringing the aforesaid petro-products under GST is not within the reach of the Central Government alone a vast majority of the States too would have to come on board. However, bringing them under GST would involve taking a call on a very tricky issue.

Given the price build-up of petrol and diesel in today's scenario, a 28% levy of GST on the base price would fetch around Rs.5.40 per litre on petrol and around Rs.5.45 on diesel to the Central and each of the State Governments as against the current yield of Rs.32.90 per litre on petrol and Rs.31.80 per litre on diesel to the Centre alone and an average of around Rs.20 per litre and Rs.15 per litre on petrol and diesel, respectively, to each of the States. This, however, would bring down the prices of petrol and diesel to around Rs.55 per litre even though lowering of prices to this level would entail staggering loss of revenue to both the Centre and the States.

Unless, a commensurate levy of non-creditable excise duty/VAT (equivalent to the difference between the current yield of Central/State levies and the expected GST yield) is imposed by the Union and the States, this would translate into a revenue loss of around Rs.3 lakh crores on account of petrol and around Rs. 1.1 lakh crores on account of diesel to the Centre and the States, at current volumes.

Clearly, merely bringing petro-products would not lower fuel oil prices by itself unless the Union and the State Governments are willing to take deep cuts in their revenue.

The budget has moved forward on the path of self-sufficiency, which includes the progress of every citizen of the country. This budget is going to lay a strong foundation for the beginning of this decade."

-Narendra Modi